

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान धनजय गरी ..... बनाम मंजू गरी आदि  
 प्रकरण संख्या २४ / २०२० अन्तर्गत धारा ८८, १२४, १८८ RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश पालना में जा
6/3/25	अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्यवादी हेतु समय पाहा। अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक २१/०३/२०२५ को पेश की।	
२१/०३/२५	अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्यवादी हेतु समय पाहा। अन्तिम अवसर दिया जाता है अन्यथा साक्ष्यवादी स्वतः बन्द समझी जाएगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक २२/०५/२५ को पेश की।	
२२/५/२५	वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक ११/५/२५ को पेश हो <u>Kumar</u>	
१९/५/२५	अधिवक्तागण उपस्थित। वादी अधिवक्ता के द्वारा वादी को भेजे गए पंजीकृत डाक नोटिश्स की रसीद पेश की। व अर्ज किया मुझे वादी की ओर से पेश्वी की हिदायत नहीं है। वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया। वादी को रुक-र कर ३ बार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। लिहाजा वादी को साक्ष्यवादी हेतु कोई अवसर दिए गए इसके बावजूद साक्ष्यवादी हेतु उपस्थित नहीं होने पर साक्ष्यवादी बन्द की जाती है। अतः वादी का वादपत्र मध्यम साक्ष्य में खारिज किया जाता है। पत्रावली विनियमों को ध्यान में रखते हुए से कम होकर दाखिल पत्र हो।	



सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी  
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)